(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) इस्पात पत्ती के अन्तिम उपयोग पर पुनः प्रतिबन्ध लगाये जाने के बारे में सां० आ० 405 (ङ) जो दिनांक 24 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एल्यूमिनियम, (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1978 जो दिनांक, 18 अक्तूबर, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 596 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library. See No. LT-2923/78].

(2) उपर्युक्त (1) (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT-2924/78].

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :-

(एक) कुदरेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुदरेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library. See No. LT-29[illegible]/78].

(4) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जम्मू तथा काश्मीर राज्य में खनन कार्यों के बारे में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1165 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 सितम्बर, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[Placed in Library. See No. LT-2926/78].

STATEMENTS SHOWING ACTION TAKEN BY GOVERNMENT ON ASSURANCES, PROMISES AND UNDERTAKINGS GIVEN DURING VARIOUS SESSIONS OF LOK SABHA

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(1) विवरण संख्या 22--पांचवां सत्र, 1972
(2) विवरण संख्या 11--पन्द्रहवां सत्र, 1976
(3) विवरण संख्या 12--सोलहवां सत्र, 1976

} पाचवीं लोक सभा

(4) विवरण संख्या 12--दूसरा सत्र, 1977
(5) विवरण संख्या 8--तीसरा सत्र, 1977
(6) विवरण संख्या 8--चौथा सत्र, 1978
(7) विवरण संख्या 9--चौथा सत्र, 1978

} छठी लोक सभा

(8) विवरण संख्या 2—पांचवा सत्र, 1978
(9) विवरण संख्या 3—पांचवां सत्र, 1978

[*Placed in Library. See* No. LT-2927/78].

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 29th November, 1978, agreed without any amendment to the Britannia Engineering Company Limited (Mokameh Unit) and the Arthur Butler and Company (Muzaffarpore) Limited, (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill, 1978, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st November, 1978."

12.02 hrs.

RE. CALLING ATTENTION NOTICE

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि उत्तर प्रदेश में एक हरिजन लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ है उसके बारे में मेरा जो कालिंग अटेंशन का नोटिस है उसको स्वीकार किया जाय। उस का न तो आपके आफिस से मुझे कोई जवाब आया है और न ही सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है। यह मामला बहुत ही सीरियस है और यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। 23 तारीख को मैंने यह कालिंग अटेंशन दिया था। अभी तक इसका उत्तर नहीं आया है।

MR. SPEAKER: There are a number of Calling Attention notices. We have been able to select only one per day.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : इसका उत्तर कब मिलेगा। अब तक तो यह आ जाना चाहिये था।

MR. SPEAKER: We have been selecting according to the importance we felt.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : इससे बड़ी इम्पोर्टेंस वाली बात और क्या हो सकती है। हरिजन लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, क्या यह इम्पार्टेंस का सवाल नहीं है? सब से बड़ा अगर इम्पार्टेंस का कोई सवाल है तो यही एक सवाल है। आप को इस पर अलग से विचार करना होगा और सरकार से इसका जवाब दिलवाना होगा।

MR. SPEAKER: I have considered all that.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED STRIKE BY PHARMACISTS OF GOVERNMENT AND SEMI-GOVERNMENT DISPENSARIES IN DELHI

SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA (Rampur): Sir, I call the attention of the Minister of Health and Family Welfare to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

"The reported strike by Pharmacists of Government and semi-Government dispensaries in Delhi, causing great inconvenience to the public."

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मासिस्ट